

अस्थाई कृषि पंप उपभोक्ताओं द्वारा देय अग्रिम राशि वर्ष 2015-16 (अक्टूबर - मार्च 2016)
अस्थाई कृषि पंप उपभोक्ता जिनके द्वारा 3 फेस विद्युत मोटरों का उपयोग कर स्वीकृत भार के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 195 यूनिट प्रति अश्व शक्ति प्रतिमाह की दर से एवं शहरी क्षेत्र में 220 यूनिट प्रति अश्व शक्ति प्रतिमाह की दर से आंकलित विद्युत का उपयोग किया जा रहा है।

सरल क्रं.	विवरण	स्वीकृत भार	ग्रामीण क्षेत्र					शहरी क्षेत्र				
			दो माह	तीन माह	चार माह	पाँच माह	छः माह	दो माह	तीन माह	चार माह	पाँच माह	छः माह
1	श्रेणी - 'अ' अग्रिम प्रभार यदि उचित क्षमता के केपेसिटर स्थापित नहीं किये गये हैं।	3 एच पी	4103	6055	8006	9958	11909	4604	6805	9007	11209	13411
		4 एच पी	5403	8004	10606	13207	15809	6069	9004	11939	14873	17808
		5 एच पी	6705	9958	13210	16463	19716	7539	11209	14878	18548	22218
		7.5 एच पी	10608	15812	21017	26221	31425	11943	17814	23685	29557	35428
		10 एच पी	13210	19716	26221	32726	39231	14878	22218	29557	36896	44235
		20 एच पी	26221	39231	52242	65252	78262	29557	44235	58914	73592	88270
2	श्रेणी - 'अ' एवं 'ब' दोनों	1 एच पी	1319	1879	2439	2998	3558	1463	2094	2726	3357	3988
		2 एच पी	2439	3558	4677	5797	6916	2726	3988	5251	6514	7777
3	श्रेणी - 'ब' अग्रिम प्रभार यदि उचित क्षमता के केपेसिटर स्थापित किये गये हैं।	3 एच पी	3558	5237	6916	8595	10274	3988	5883	7777	9671	11565
		4 एच पी	4677	6916	9154	11393	13632	5251	7777	10302	12828	15354
		5 एच पी	5797	8595	11393	14191	16990	6514	9671	12828	15985	19142
		7.5 एच पी	9154	13632	18109	22586	27063	10302	15354	20405	25456	30507
		10 एच पी	11393	16990	22586	28183	33779	12828	19142	25456	31770	38084
		20 एच पी	22586	33779	44972	56165	67358	25456	38084	50712	63340	75968

अस्थाई कृषि पंप उपभोक्ता जिनके द्वारा 1 फेस विद्युत मोटरों का उपयोग कर स्वीकृत भार के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 205 यूनिट प्रति अश्व शक्ति प्रतिमाह की दर से एवं शहरी क्षेत्र में 230 यूनिट प्रति अश्व शक्ति प्रतिमाह की दर से आंकलित विद्युत का उपयोग किया जा रहा है।

सरल क्रं.	विवरण	स्वीकृत भार	ग्रामीण क्षेत्र					शहरी क्षेत्र				
			दो माह	तीन माह	चार माह	पाँच माह	छः माह	दो माह	तीन माह	चार माह	पाँच माह	छः माह
1	श्रेणी - 'अ' अग्रिम प्रभार यदि उचित क्षमता के केपेसिटर स्थापित नहीं किये गये हैं।	3 एच पी	4303	6355	8407	10458	12510	4804	7106	9407	11709	14011
		4 एच पी	5671	8407	11142	13878	16613	6338	9407	12476	15546	18615
		5 एच पी	7039	10458	13878	17297	20716	7873	11709	15546	19382	23218
2	श्रेणी - 'अ' एवं 'ब' दोनों	1 एच पी	1377	1965	2553	3142	3730	1520	2180	2840	3501	4161
		2 एच पी	2553	3730	4907	6084	7260	2840	4161	5481	6801	8121
3	श्रेणी - 'ब' अग्रिम प्रभार यदि उचित क्षमता के केपेसिटर स्थापित किये गये हैं।	3 एच पी	3730	5495	7260	9025	10790	4161	6141	8121	10102	12082
		4 एच पी	4907	7260	9614	11967	14320	5481	8121	10762	13402	16042
		5 एच पी	6084	9025	11967	14909	17851	6801	10102	13402	16703	20003

- नोट : 1. 3 अश्व शक्ति एवं अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय संहिता 2013 की कंडिका 6.14 के अनुसार अपनी स्थापना में उचित क्षमता का केपेसिटर स्थापित न करने पर दर आदेश के प्रावधानानुसार लो पॉवर फ़ैक्टर सरचार्ज देय होगा।
2. मैदानी अधिकारी श्रेणी 'ब' के अनुसार प्रभार लगाने के पूर्व केपेसिटर स्थापना के सत्यापन हेतु उपभोक्ता परिसर का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करें।
3. कम्पनी द्वारा आवेदन पत्र उपलब्ध कराने की स्थिति में रुपये 5/- प्रति आवेदन अतिरिक्त देय होंगे।
4. पॉवर फ़ैक्टर सरचार्ज की गणना हेतु एफसीए (ईंधन) प्रभार अक्टूबर 15 से दिसम्बर 15 की तिमाही के लिये देय 04 पैसे प्रति यूनिट की दर से लिया गया है।
5. दर आदेश के प्रावधानानुसार कृषि उपभोक्ताओं द्वारा दो माह से कम अवधि का अस्थाई संयोजन चाहे जाने पर उन्हें कम से कम दो माह की अवधि के अस्थाई संयोजन के लिये देय राशि के बराबर राशि का अग्रिम जमा करना होगा, जो कि बढ़ाई गई अवधि हेतु समय-समय पर की गई संपूर्ति (Replenishment) के अध्यधीन तथा संयोजन विच्छेद उपरान्त अन्तिम देयक के अनुसार समायोजन के अध्यधीन होगा।
6. कृषि उपभोक्ता विद्युत मोटर/केपेसिटर की स्थापना के संबंध में परीक्षण प्रपत्र विद्युत ठेकेदार से परीक्षण उपरान्त भरवाकर जमा करें, इस संबंध में कोई भी राशि कार्यालय में जमा न करें।